फर्द अहकाम

परता बनाम सुगा

न्यायालय

मुकदमा संख्या 525/53/16 दावा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	4/2/20	वकुलाय फरीकेन उप०। साक्ष्यवादी हेतु पुनः समय चाहा गया। पत्रावली में साक्ष्यवादी हेतु न्यायहित में अन्तिम अवसर कई बार दिये जा चुके है। प्रकरण में एक बार और अन्तिम अवसर वकिल वादी की मौखिक वचनबद्धता पर दिया जाता है। आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से साक्ष्यवादी करावे। साक्ष्यवादी नहीं कराने पर पत्रावली स्वतः खारिज मानी जावेगी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 11-2-20 को पेश हो। Arshdeep सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)	
	11/2/20	वकुलाय फरीकेन उप०। वकील वादी ने साक्ष्य हेतु पुनः अवसर चाहा। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण दिनांक 7-5-2015 से साक्ष्यवादी में नियत चल रहा है। अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी व उनके अधिवक्ता को साक्ष्यवादी हेतु प्रकरण में पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है बार-बार वादीगण उनके अधिवक्ता को साक्ष्य कराने हेतु पाबन्द किया जा चुका है किन्तु आदिनांक तक भी प्रकरण में साक्ष्य नहीं करवाये गये है। वादी वाद का संचालक होता है। प्रकरण में आदिनांक तक साक्ष्य नहीं कराने से स्पष्ट है कि वादीगण प्रकरण में रुचि नहीं रख रहे है। अतः वादीगण का वाद-पत्र बार-बार न्यायालय आदेशो की अवहेलना कर साक्ष्य नहीं करने पर साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। Arshdeep सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)	

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2020.03.04 14:53:01 IST
Reason: SelfAttested